

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 149]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2016—चैत्र 12, शक 1938

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2016

क्र. 11637-वि.स.-विधान-2016.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2016 (क्रमांक 12 सन् 2016) जो विधान सभा में दिनांक 1 अप्रैल 2016 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १२ सन् २०१६

मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, २०१६

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निरसन अधिनियम, २०१६ है.

संक्षिप्त नाम.

२. अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का उसके चौथे कॉलम में वर्णित की गई सीमा तक एतद्द्वारा निरसन किया जाता है.

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन.

३. इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से, किसी अन्य अधिनियमिति पर, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गई है, सम्मिलित अथवा निर्दिष्ट की गई है, पर प्रभाव नहीं पड़ेगा;

व्यावृत्ति.

और यह अधिनियम पूर्व में ही की गई या भुगती गई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम पर या पूर्व में ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व पर, या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही पर या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग पर या उससे किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन पर, या पूर्व में ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति पर या भूतकाल में किए गए किसी कार्य या बात के सबूत पर प्रभाव नहीं डालेगा;

और यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम पर, या स्थापित अधिकारिता, अधिवचन के रूप में या अनुक्रम पर, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति पर इस बात के होते हुए भी प्रभाव नहीं डालेगा कि वह क्रमशः किसी ऐसी अधिनियमिति द्वारा, जो कि एतद्द्वारा निरसित की गई है, उसमें या उससे किसी रीति में अभिपुष्ट किया गया है या मान्यताप्राप्त है या व्युत्पन्न है ;

और इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से किसी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात का, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पुनः प्रवर्तन या प्रत्यावर्तन नहीं होगा.

अनुसूची

(धारा २ देखिए)

निरसन

वर्ष (१)	क्रमांक (२)	संक्षिप्त नाम (३)	निरसन की सीमा (४)
१८४५	१	द सेल्स ऑफ लैण्ड फॉर रेवेन्यू एरियर्स एक्ट, १८४५	संपूर्ण
१८५०	२६	द इम्प्रूवमेंट्स इन टाउन्स एक्ट, १८५०	संपूर्ण
१८५३	६	द रेन्ट रिकवरी एक्ट, १८५३	संपूर्ण
१८६१	१६	द स्टेज केरीएजेज एक्ट, १८६१	संपूर्ण
१८६३	१९	द पार्टीशन ऑफ रेवेन्यू पेइंग एस्टेट्स एक्ट, १८६३	संपूर्ण
१८७९	१४	द हेकनी केरिएज एक्ट, १८७९	संपूर्ण
१८८१	१८	द सेन्ट्रल प्राविन्सेस लैन्ड रेवेन्यू एक्ट, १८८१	संपूर्ण
१८८३	१९	द लैण्ड इम्प्रूवमेंट लोन्स एक्ट, १८८३	संपूर्ण
१८९८	११	द सेन्ट्रल प्राविन्सेस टेनेंसी एक्ट, १८९८	संपूर्ण
१९०८	१३	द सेन्ट्रल प्राविन्सेस फायनेंशियल कमिशनर्स एक्ट, १९०८	संपूर्ण
१९१४	९	द लोकल अथोरिटीज लोन्स एक्ट, १९१४	संपूर्ण
१९१९	१	द लोकल अथोरिटीज पेन्शन्स एण्ड ग्रेच्युटीज एक्ट, १९१९	संपूर्ण

उद्देश्यों और कारणों का कथन

१. केन्द्र सरकार कानूनी पुस्तक में की अप्रचलित और अनावश्यक विधियों (केन्द्रीय अधिनियमों) को निरसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन विधियों के जो कि अप्रचलित हैं या जो महत्वहीन हो चुकी हैं, निरसन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर भारत के विधि आयोग ने "ओब्सोलीट लॉज : वारंटिंग इमीजिएट रिपील" पर अपने २४८वें, २४९वें, २५०वें और २५१वें प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ २८९ अधिनियमितियों के निरसन की सिफारिश की है। इन २८९ अधिनियमितियों में से ६२ अधिनियमितियां संबंधित राज्य विधान-मंडल द्वारा निरसित किए जाने के लिए चिन्हित की गई हैं।

२. प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा गठित रामानुजम समिति ने १७४१ अधिनियमितियों के निरसन की सिफारिश की है। इन १७४१ अधिनियमितियों में से ८३ अधिनियमितियां संबंधित राज्य विधान-मंडल द्वारा निरसित किए जाने के लिए चिन्हित की गई हैं। राज्यों द्वारा निरसित किए जाने वाले अधिनियमों की कुल संख्या ६२+८३=१४५ हो जाती है। इन कुल १४५ अधिनियमों में से मध्यप्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा निरसित किए जाने के लिए १२ अधिनियमों को चिन्हित किया है, जिसके लिए संबंधित प्रशासकीय विभाग से सहमति प्राप्त हो गई है।

३. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा केरला राज्य विद्युत बोर्ड विरुद्ध इण्डियन एल्यूमीनियम कं. लि. (AIR 1976 SC 1031) के मामले में दिया गया विनिर्णय संदर्भित किया गया है, जिसमें यह अवधारित किया गया है कि "कोई विद्यमान विधि वैध बनी रहेगी भले ही विद्यमान विधि की विषय-वस्तु के बारे में विधायी शक्ति संविधान के अधीन उस सूची से भिन्न सूची में आती हो जिसमें कि वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, १९३५ के अधीन आती। परन्तु संविधान लागू होने के पश्चात् किसी विद्यमान विधि को, यदि वह नए सिरे से अधिनियमित की गई हो, केवल उस विधान-मण्डल द्वारा संशोधित या निरसित किया जा सकेगा जो कि उस विधि को अधिनियमित करने के लिए सक्षम हो"।

४. केन्द्र सरकार की चल रही पहल के ही एक भाग के रूप में, राज्य विधान सभा द्वारा १२ अप्रचलित और अनावश्यक विधियों को निरसित किए जाने का राज्य सरकार का प्रस्ताव है। विधेयक में एक समुचित व्यावृत्ति खण्ड सम्मिलित किया गया है। अधिनियमित हो जाने पर यह अप्रचलित विधियों को कम करेगा और उन लोगों के लिए स्पष्टता लाएगा जिनके कि लिए विधियां अधिनियमित की गई हैं।

५. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख ३० मार्च, २०१६

कुसुम सिंह महदले
भारसाधक सदस्य